

रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ का कार्यालय

स से मु/ अं से सं एसोसिएशनों को सी सी एस (आर एस ए) नियमावली, 1993
के अंतर्गत मान्यता प्रदान करना

1. इस कार्यालय के दिनांक 04 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए/47848/रि-वेरी 12/मुप्रअ/जेसीएम के संदर्भ में।
2. निम्नलिखित एसोसिएशनों को 04 सितम्बर 2013 से अगले पाँच वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की गई थी:—
 - (i) स से मु/अं से सं के सभी समूह 'क' अधिकारियों का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु सिविलियन अधिकारी एसोसिएशन।
 - (ii) स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु सिविल सेवा (सीधी भर्ती राजपत्रित) अधिकारी एसोसिएशन।
 - (iii) स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी एवं उससे उच्च पदों के सभी अधिकारियों (अनुभाग अधिकारी ग्रेड में एलडीसीई के आधार पर उनकी पदोन्नति के बाद) का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु सिविल सेवा (एलडीसीई) अधिकारी एसोसिएशन।
 - (iv) स से मु सिविल सेवा के नियमित अथवा अस्थाई आधार पर अथवा सभी भर्ती नियमों/सरकारी अनुदेशों के किन्हीं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों का प्रतिनिधत्व करने वाली सभी अनुभाग अधिकारी (विभागीय पदोन्नत) एसोसिएशन।
 - (v) स से मु/अं से सं में नियोजित सभी आशुलिपिकों का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु अशुलिपिक एसोसिएशन।
 - (vi) डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, डाटा प्रोसेसिंग सहायकों, प्रोग्रामर्स इत्यादि का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु ई डी पी कर्मचारी एसोसिएशन।
 - (vii) सीधी भर्ती सहायक अनुभाग अधिकारियों का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु सहायक अनुभाग अधिकारी (सीधी भर्ती) एसोसिएशन।
 - (viii) स से मु/अं से सं के सभी पदोन्नत सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायकों का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु अराजपत्रित कर्मचारी एसोसिएशन।
 - (ix) सभी स से मु विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों का प्रतिनिधत्व करने वाली स से मु कैंटीन कर्मचारी एसोसिएशन।
3. सी सी एस (आर एस ए) नियमावली, 1993 के अनुसार अवधि की समाप्ति से छह माह पहले पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। उपर्युक्त सभी एसोसिएशनों की मान्यता जारी रखने के उद्देश्य

से आवेदन मंगाने के लिए सक्षम प्रधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार सभी मान्यता प्राप्त मौजूदा सर्विस एसोसिएशनों एवं मान्यता लेने की इच्छुक नवगठित एसोसिएशनों से अनुरोध है कि वे सी सी एस (आर एस ए) नियमावली, 1993 के प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अपने आवेदन दो प्रतियों में 29 दिसम्बर 2017 तक कार्यालय बंद होने से पहले इस कार्यालय को भेज दें:-

- (i) मान्यता लेने की इच्छुक एसोसिएशन का नाम।
- (ii) एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी।
- (iii) एसोसिएशन का ज्ञापन।
- (iv) एसोसिएशन का संविधान/उपनियम।
- (v) एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम।
- (vi) एसोसिएशन की अनुमानित सदस्यता।

4. अधूरे भरे गए अथवा सी सी एस (आर एस ए) नियमावली, 1993 के प्रावधानों के अनुरूप न पाए गए तथा निर्धारित तारीख एवं समय अर्थात् 29 दिसम्बर 2017 को कार्यालय बंद होने तक न पहुंचने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा।

5. मान्यता प्रदान करने के लिए संबंधित डी डी ओ द्वारा सी सी एस (आर एस ए) नियमावली, 1993 के अनुसार सदस्यता का पुनर्सत्यापन/सत्यापन किया जाएगा। सदस्यता इत्यादि के सत्यापन की क्रियाविधि अलग से जारी की जाएगी।

6. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु का स से मु/अं से सं के सिविलियन कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाए।

(जीवेन्द्र कुमार)
उप मु प्र अ (ज यो स)

रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (सेना)/अं से सं के सभी समन्वय अनुभाग
रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (नौ सेना)/डी ओ ए (सिव)
वा से मु/निदेशक पी सी (ए एच सी)
एन डी सी
ए टी वी पी मुख्यालय
तटरक्षक मुख्यालय
सभी उप मुप्रअ, निदेशक र मु म्र सं
मुप्रअ कार्यालय के सभी अनुभाग
सभी मान्यताप्राप्त एसोसिएशन

सं स एवं मु प्र अ, अं वि सं ए/47848/री-वेरी 18/मुप्रअ/जेसीएम/जेसीएम दिनांक 29 नवंबर 2017

प्रतिलिपि :-

सं स एवं मु प्र अ के व प्र नि स
मु प्र अ कार्यालय के ओ एस डी के निजी सचिव
निदेशक (मा सं) के नि स

✓ मुप्रअ/ईडीपी - कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु